

FORM No- III

फर्द अहकाम


(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट खैरथल-तिजारा मुकाम खैरथल-तिजारा
 उनवान सरकार बनाम रमजान किरम- प्रा0 पत्र सुपुर्दगी आर.बी. एक्ट मुकदमा नम्बर
 15/111 /2023 दा. दि. 30.10.2023

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	-----------------------------------	---


06.03.2024

आज यह पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी द्वारा आदेश दिनांक 04.07.2023 की पालना में राशि 700000/- रुपये अक्षरेन-सात लाख रुपये मात्र की तहसीलदार तावडू दिनांक 16.02.2024 के द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र खुशींद पुत्र होसमखां निवासी ग्राम सहसोला पट्टी घुसबैठी तह0 तावडू जिला नूह (हरियाणा) के दस्तावेज पेश किए हैं साथ ही इसी कदर सुपुर्दनामा पेश किया गया है।
 प्रकरण में प्रस्तुत सुपुर्दनामा/जमानतनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल Reg. No. HR27G9496 को सुपुर्दगार रमजान पुत्र नूरमोहम्मद जाति मेव निवासी शिकारपुर तहसील व थाना तावडू (हरियाणा) को सशर्त सुपुर्दगी पर दिए जाने के आदेश दिए जाते हैं, संबंधित थानाधिकारी को तहरीर जारी हो। पत्रावली आईन्दा दिनांक 20.03.2024 को पेश हो।


 जिला कलक्टर
 खैरथल-तिजारा

20/3/2024

आज दिनांक परावली पेश हुई वहील
 कलक्टर इफ्तखार वहीथी पत्रावली का इलाज
 किया गया। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन की रिफाउंड
 सुपुर्दगी पर सुपुर्दगार की दोगा का पकाई, अब
 प्रकरण में कोई कार्यवाही किया जाना ~~की नहीं है~~
 जल: प्रकरण में कोई कार्यवाही ~~की नहीं है~~
 दीने के बावजूद प्रा0 पत्र की कार्यवाही ड्रॉप की जाती है।
 प्रा0 पत्र रिफाउंड युक्त ही वापस की कय किया जाकर
 कद तस्दीक सातवम कता रिफाउंड है।


 जिला कलक्टर
 खैरथल-तिजारा (15/111)